दिल्ली के राजपत्र भाग–चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शहरी विकास विभाग
दिल्ली सचिवालय, सी–विंग, नौवा तल, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली

फा0सं0 7(443) (1)/2004/यू.डी./वाल्यूम–II/521 दिनांक 20.4.2012

अधिसूचना

फा0सं0 7(443) (1)/2004/यू.डी./वाल्यूम–II/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 3 अ तथा दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 14वीं अनुसूची में वर्णित कतिपय क्षेत्रों के विस्तार में समायोजन करते हुए निम्नलिखित परिवर्तन करती है :

क्रम सं0	निगम का नाम	वार्ड नं.	वार्ड का नाम	क्षेत्र का नाम
1.	उत्तरी दिल्ली नगर निगम	30	मुण्डका	नरेला
		31	नांगलोई जाट पश्चिमी	नरेला
		41	गुरू हर किशन नगर	रोहिणी
		42	पीरागढ़ी	रोहिणी
		43	नांगलोई पूर्वी	रोहिणी
		44	कमरूद्दीन नगर	रोहिणी
		57	पश्चिम विहार दक्षिणी	रोहिणी
		58	पश्चिम विहार उत्तरी	रोहिणी
		61	त्री नगर	सिविल लाइन
		62	रामपुरा	सिविल लाइन
		63	कोहाट एन्कलेव	सिविल लाइन
		64	शकूर पुर	सिविल लाइन
		65	निमरी कालोनी	सिविल लाइन
		66	सावन पार्क	सिविल लाइन
		67	वजीर पुर	सिविल लाइन
		68	अशोक विहार	सिविल लाइन
		75	किशन गंज	सदर पहाड़गंज
		76	डिप्टीगंज	सदर पहाड़गंज
		97	कीर्ति नगर	करोलबाग
		98	मानसरोवर गार्डन	करोलबाग
		99	मोती नगर	करोलबाग
		100	कर्मपुरा	करोलबाग
2.	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	153	दरियागंज	सैन्ट्रल जोन
		154	निजामुद्दीन	सैन्ट्रल जोन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश व उनके नाम पर

आर. के. श्रीवास्तव

(आर. के. श्रीवास्तव)
सचिव (शहरी विकास विभाग)

IndiaCode